

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्लादाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज्ञ अदालत उप खण्ड अधिकारी, साँगानेर (द्वितीय) मुकाम साँगानेर जयपुर व इजलास
कीवसीन अधिकारी का नाम:-श्री हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद दावा संख्या : 54 / 2006 (252 / 2005)
परित डिक्री दिनांक : 23.05.2025

उनवान

1. शिवराज पुत्र स्व.श्री राधेश्याम आयु 21 वर्ष
 2. कुमारी सीमा पुत्री स्व.श्री राधेश्याम आयु 23 वर्ष
 3. श्रीमती मन्नी पत्नी स्व.श्री राधेश्याम
- समस्त जातियान ब्राहमण निवासीयान-ग्राम महल तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

बनाम

-वादीगण

1. श्री गंगा सहाय (मृतक दौराने दावा)
 - 1/1 श्रीमती धन्नी देवी पत्नि स्व.श्री गंगा सहाय जाति ब्राहमण निवसी-ग्राम महल तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
 - 1/2 श्रीमती लल्ली पत्नि श्री राम अवतार पुत्री स्व.श्री गंगा सहाय जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भम्मभौरिया, बगरु तहसील सांगानेर जिला जयपुर
 - 1/3 श्रीमती प्रभु देवी पत्नि श्री राम करण पुत्री स्व.श्री गंगा सहाय जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भम्मभौरिया, बगरु तहसील सांगानेर जिला जयपुर
 2. नन्द किशोर
 3. मोती
 4. मदन
- समस्त पुत्रान स्व.श्री चौखाराम जातियान ब्राहमण निवासीयान-ग्राम महल तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. श्रीमती मनोरमा शर्मा पत्नी श्री सुरेश शर्मा मंत्री साहित्य सदावत समिति, जयपुर पंजीकृत कार्यालय ए-42, शास्त्री नगर, जयपुर।
 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर
 7. उपपंजीयक महोदय, सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर
 8. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद इस्तकरार हक (घोषणा) तकासमा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा

85, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी, साँगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रुबरु मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम महल पटवार क्षेत्र जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 485 रकबा 0.09 हैक्टे0, खसरा नम्बर 542 रकबा 0.53 हैक्टे0, खसरा नम्बर 651 रकबा 0.29 हैक्टे0, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.07 हैक्टे0, खसरा नम्बर 487 रकबा 1.40 हैक्टे0, का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/1


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

लगायत 1/3, 2, 3 व 4 प्रत्येक का 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।


बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23.05.2025 को जारी की गई।

मुहर


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
आहदा

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वह सबूत	1	00	महन्ताना वकील	1	00
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)